

[2023] 2 एस.सी.आर. 119

प्रेमचंद

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 211/2023)

03 मार्च, 2023

(एस. रविन्द्र भट्ट और दिपांकर दत्त, न्यायाधीशगण)

भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा-300, 302, 307 और 304-विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को पीड़िता-मृतक की हत्या और तीन अन्य की हत्या के प्रयास के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया। विचारण न्यायालय के फैसले को अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने इसे यथावत रखा। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(5) के अन्तर्गत अपीलकर्ता के लिखित कथन (प्रदर्श 96) पर विचार नहीं किया। इस पर विचार न करने से दोषसिद्धि पूरी तरह से हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील हो गई है। विचारण न्यायालय, प्रदर्श 96 के अनुसार बचाव पक्ष के प्रकथन की विवेचना करने में विफल रहे हैं, जो कि मूल्यांकन योग्य प्रतीत होता है।

अभियोजन के प्रकरण में एक अनुपस्थित कड़ी है, प्रदर्श 96 की अन्तर्वस्तु को पढ़ने से अपीलकर्ता का पीड़िता पर प्रहार करने का उद्देश्य, अचानक उकसावे से प्रेरित प्रतिषेध की कार्यवाही दर्शित करता है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो गई और अन्य घायल हो गए। परिस्थितियां स्पष्ट रूप से मन में पूर्वचिन्तन के किसी भी सुझाव को नकारती हैं। विचारण न्यायालय में तथ्यों और परिस्थितियों की जाँच न करके निष्पक्षता का अभाव प्रतीत होता है कि क्या स्थिति ऐसी थी, जिससे अपीलकर्ता के मन में यह आशंका पैदा हो सकती थी कि उसके शरीर के प्रति आसन्न खतरा था कि या तो उसकी मृत्यु हो जायेगी या उसे गंभीर उपहति कारित होगी, यदि वह अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को उपयोग में नहीं लायेगा। प्रकरण की परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने का आशय या उपहति कारित करने का आशय अयुक्तियुक्त रूप से घातक साबित हुआ। इस प्रकार, अपीलकर्ता धारा-300 भारतीय दण्ड संहिता अपवाद 4 के लाभ का हकदार है। अन्तर्गत धारा-300 भारतीय दण्ड संहिता हत्या के लिए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के दण्डादेश को रद्द कर दिया गया। अपीलकर्ता को अन्तर्गत धारा-304 के भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषी ठहराया गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा-313 के उद्देश्य एवं विस्तार पर चर्चा
अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया कि-

1- यह एक ऐसा मामला है, जहां रिकार्ड से यह प्रतीत नहीं होता है कि लिखित कथन प्रदर्श 96, ने विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय, दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। विधि के सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह अविवादित है कि प्रदर्श 96 पर विचार किये बिना दोषसिद्धि किये जाने एवं परिणामस्वरूप दण्डादेश अधिरोपित किये जाने से यह संवेदनशील होकर हस्तक्षेप किये जाने योग्य हो गया है।

2- विचारण न्यायालय ने प्रदर्श 96 के साथ अभिलेख पर आई अन्य साक्ष्य पर विचार नहीं किया कि क्या, अभियोजन पक्ष का यह दावा करना उचित था कि कथित आपराधिक कृत्य हत्या की श्रेणी में गैर इरादतन हत्या है या अपीलार्थी गैर इरादतन हत्या का दोषी होकर अन्तर्गत धारा 304 भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्ड का हकदार है। यह सत्य है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों पर विचार किया कि 1- “उसने अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग किया था” और यद्यपि 2- “क्या अपीलकर्ता ने अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया”, 3- प्रस्तुत प्रकरण धारा-304 भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आता है, परन्तु अभियोजन साक्षी क्र. 2 से 4 की मौखिक साक्ष्य पर विश्वास करके ऐसे तर्कों को खारिज करते हुये विचारण न्यायालय आगे बढ़ा और विचारण न्यायालय प्रदर्श 96 में दर्शित बचाव प्रकथन की सराहना करने में विफल रहा। प्रदर्श 96 को पढ़ते हुये न्यायालय ने यह संभावित पाया है कि पीड़िता के द्वारा कथित तौर पर मौखिक दुर्व्यवहार के साथ अपीलकर्ता पर थूक कर उसे उकसाया गया था। उसके बाद अभियोजन साक्षी क्र. 2 तथा अभियोजन साक्षी क्र. 3 और अभियोजन साक्षी क्र. 4 हरकत में आये और परिणामस्वरूप हाथापाई हुई जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को उपहति पहुँचाई, जिसके परिणामस्वरूप अवांछित जनहानि हुई। अफसोस की बात है कि अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय का ध्यान प्रदर्श 96 की ओर आकर्षित नहीं किया गया है।

3- यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा कोई विशेष स्वीकारोक्ति नहीं की गई है कि उसने पीड़िता या अन्य आहत गवाहों को चाकू मारा था, प्रदर्श 96 की अन्तर्वस्तु को पढ़ने से अचानक उकसाने से प्रेरित प्रतिषेध का कार्य स्पष्ट होता है, जिसके परिणामस्वरूप झगड़ा हुआ था और साथ ही हाथापाई हुई, जिसकी मूल्य अन्ततः पीड़िता को जीवन देकर चुकानी पड़ी और कुछ अन्य घायल हो गये। हाथापाई में अपीलार्थी को भी चोटें आई और इस संबंध में अभिलेख पर इस बात की साक्ष्य है कि अपीलकर्ता को आई चोटों में से एक चोट गंभीर प्रकृति की थी, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से आपराधिक कृत्य ऐसी उपहति पहुँचाने के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए तैयार नहीं किया गया है। यह अचानक झगड़ा हुआ था, जो कि पीड़िता और अभियोजन साक्षी क्र. 2 द्वारा भड़काया हो सकता था, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन परिस्थितियों में घटना घटी, वे मन में पूर्व चिन्तन के किसी भी सुझाव को स्पष्ट रूप से नकारती हैं। इसके अतिरिक्त इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है कि पीड़िता अर्धे उम्र की थी, अपीलकर्ता लगभग 50 वर्ष की आयु के आसपास का था। कथित घटना के समय अभियोजन साक्षी क्र. 2 एवं 3 के अतिरिक्त अभियोजन साक्षी क्र. 2 के बताये अनुसार घटनास्थल

पर मौजूद अन्य व्यक्तियों की जांच नहीं की गई थी। यह वास्तव में असंभव है कि ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में अपीलकर्ता चाकू जैसा हथियार लेकर बिना किसी पर्याप्त कारण या उकसावे के उन सभी पर हत्या का अपराध करने के आशय से घटनास्थल पर आया। इस न्यायालय की राय में विचारण न्यायालय ने तथ्य और परिस्थितियों की जांच नहीं की एवं निष्पक्षता का अभाव रहा कि क्या स्थिति ऐसी थी, जिसमें अपीलकर्ता के मन में उचित रूप से यह आशंका पैदा हो सकती थी कि उसके शरीर को किसी भी तरह का आसन्न खतरा था। यदि उसने निजी प्रतिरक्षा में कार्य नहीं किया तो उसने मृत्यु या गंभीर उपहति पहुँचाई जा सकती है। इन परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने के उद्देश्य या उस विशेष उपहति को कारित करने के आशय का आरोप लगाना, जो कि घातक साबित हुआ, अनुचित प्रतीत होता है।

4- अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के लाभ का हकदार था। अपीलकर्ता को पीड़िता की हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। हत्या के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास का दण्डादेश रद्द किये जाने योग्य है, तदनुसार आदेश किया गया। हालांकि इस न्यायालय में अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अन्तर्गत दोषी ठहराना उचित पाया।

यू.पी. राज्य बनाम लखमी (1998) 4 एस.सी.सी. 336, (1998) 1 एस.सी.आर. 850
सनातन नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010), 8 एस.सी.सी. 249 (2010) 7 एस.सी.आर.
1023, रीना हजारिका बनाम असम राज्य (2019) 13 एस.सी.सी. 289 (2018) 13, एस.सी.आर.
1108, परमिन्दर कौर बनाम पंजाब राज्य (2020) 8 एस.सी.सी. 811 (2020) 6 एस.सी.आर.
508 न्यायदृष्टांत संदर्भित

न्यायदृष्टांत संदर्भित

(1998) 1 एस.सी.आर 850 पैरा 14
(2010) 7 एस.सी.आर 1023 पैरा 14
(2018) 13 एस.सी.आर 1108 पैरा 14
(2020) 6 एस.सी.आर 508 पैरा 14

आपराधिक अपीलार्थी क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2023 का 211
बॉम्बे और नागपुर उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.08.2019 से 2016 के
सी.आर.ए. नं. 211

अपीलकर्ता के लिए रविन्द्र बाना, सुधीर वोडिटेल्, सलाहकार।
प्रत्यर्थी के लिए सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य ए. पांडे, भरत बागला, सुश्री कीर्ति दाधीच,
सलाहकार।

निर्णय सुनाया गया-द्वारा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता,न्यायाधीश

1. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय, नागपुर की खंडपीठ के 06 अगस्त, 2019 के फैसले और आदेश पर प्रश्नगत करती है, जिसके तहत अपीलकर्ता ने अपने दण्ड को चुनौती दी थी। अन्तर्गत धारा-302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षिप्ततः के लिए 'आई.पी.सी.')

6,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा और अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में एक वर्ष का कारावास एवं अन्तर्गत धारा-307 भारतीय दण्ड संहिता 4,000/- रुपये के जुर्माने की सजा के साथ 07 वर्ष का सश्रम कारावास के दण्डादेश को खारिज कर दिया गया।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि नंदकिशोर कोई (संक्षिप्ततः के लिए 'पीड़िता') की 26 सितंबर, 2013 को शाम लगभग 5 बजे अपीलकर्ता द्वारा हत्या कर दी गई थी। अन्य तीन पीड़िता, अर्थात् नामदेव कोई (अ0सा0-2), विलास चाई (अ0सा0-3), और कुणाल बाभुलकर (अ0सा0-4) को चाकू से चोटें आई, जो अपीलकर्ता द्वारा कारित की गई थीं। इसके तुरंत बाद पीड़िता की माँ रेखाबाई कोई, (पी.डब्लू.1), जी द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 302 और 307 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज की गई। दिनांक 27 सितंबर, 2013 की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (विस्तार 35) में मौत का संभावित कारण के रूप में पीड़िता की “गर्दन पर चाकू से वार“ दर्ज किया गया।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के परिणामस्वरूप, पुलिस निरीक्षक भरत ठाकरे (पी.डब्लू.8) ने प्रकरण को विवेचना में लिया और घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया। उन्होंने घटनास्थल को खून से सना पाया और एक खून से सना चाकू, खून से सना हुआ एक लकड़ी का डंडा, तीन जोड़ी चप्पलें, दो चश्मे और एक नीला डॉट पेन बरामद किया। पी.डब्लू. 8 ने अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया और चूंकि उसे भी उपहति कारित हुई थी, इसलिए उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु ग्रामीण अस्पताल, काटोल में रेफर किया गया था।

4. अन्वेषण पूर्ण होने पर, अपीलकर्ता के विरुद्ध संबंधित न्यायालय के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण उपापित होने पर, उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप तय किए गए, जिस पर अपीलकर्ता ने खुद को दोषी नहीं माना और विचारण चाहा।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 08 साक्षियों को परीक्षित करवाया। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया। हालांकि, अपीलकर्ता ने एक लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसे हम इस निर्णय के बाद के भाग में संदर्भित करने का प्रस्ताव करते हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए अ0सा0-2, अ0सा0-3, अ0सा0-4 के कथनों पर अपीलकर्ता के सिद्धदोष होने पर विश्वास किया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि

अपीलकर्ता ने चाकू से पीड़िता की हत्या की (भौतिक वस्तु-1) और अ0सा0-2, अ0सा0-3, अ0सा0-4 की हत्या करने का प्रयास किया। न्यायालय को अपीलकर्ता की प्रतिरक्षा झूठी प्रतीत हुई और अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया। इसके बाद उपरोक्त उल्लेखित दोषसिद्धि और दण्डादेश हुआ।

6. उपरोक्त निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, संबंधित डिवीजन बेंच का विचार था कि निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और अपील गुणरहित थी, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का पहला अंग यह है कि विचारण न्यायालयों ने अपीलकर्ता को दोषी पाने में स्पष्ट रूप से गलती की है। उनके अनुसार निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं:-

क- सबसे पहले, विचारण न्यायालय इस बात को समझने में असफल रहा है कि घटनास्थल पर मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति, अर्थात् शंकरराव फार्तोडे, उमराव चार्डे और रमेश कोर्डे अ0सा0-2 के बताये अनुसार अभियोजन गवाहों के रूप में परीक्षण नहीं कराया गया है। न्यायालय को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि यदि उन्हें पेश किया गया होता तो वे अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करते और इस प्रकार, उन्हें जानबूझकर रोक दिया गया। इसलिए, ऐसे स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ न करना अभियोजन मामले के लिए घातक माना जाना चाहिए।

ख- दूसरी यह कि, अपीलकर्ता की उम्र (वह घटना की तारीख को 58 वर्ष का था) को ध्यान में रखते हुए, यह काफी असंभव है कि वह पीड़िता और अन्य लोगों को मौके पर मौजूद अन्य लोग (शंकरराव फार्तोडे, उमराव चार्डे और रमेश कोर्डे) यहां तक कि अपीलकर्ता को चोट पहुंचाने से रोकने और दूसरों को बचाने का भी प्रयास कर रहे थे, को बिना किसी को घायल किये स्वतंत्र रूप से चाकू से चोट पहुंचा सकता है।

ग- तीसरा यह कि, इन स्वतंत्र साक्षियों को परीक्षित करके यह स्थापित करना आवश्यक था कि यह अपीलकर्ता ही था जो चाकू लेकर आया था और पीड़िता को पकड़कर चाकू मारने लगा था जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो गई और अन्य घायल हो गए।

घ- चौथा यह कि, सभी प्रत्यक्षदर्शी (अ0सा0-2, अ0सा0-3, अ0सा0-4) जिन्होंने अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य दी थी, वे इच्छुक गवाह थे और इसलिए, विश्वसनीय नहीं थे और उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था।

ङ.- पांचवा यह कि, विचारण न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में असफल रहे हैं कि अ0सा0-2 और अ0सा0-3, दोनों इच्छुक गवाह थे और यह वास्तविक घटना की मूल कहानी को छिपाकर झूठे आरोप लगाने का एक स्पष्ट मामला था।

च- छठा, यह आश्चर्यजनक है कि यद्यपि अ0सा0-4 ने अपीलकर्ता से चाकू छीनने का दावा किया है और उसके हाथ पर कोई चोट नहीं है, इसके विपरीत, अपीलकर्ता को लगी छः चोटों के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

छ- सातवां यह कि अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता और अ0सा0-2 पर हमला करने का कोई हेतु आशय स्थापित नहीं किया जा सका, क्योंकि अपीलकर्ता की इमारत के भूतल पर अ0सा0-2 द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माण से उत्पन्न पक्षों के बीच विवाद वर्ष 2003 से संबंधित है।

ज- आठवीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता के कहने पर चाकू बरामद नहीं किया गया था, लेकिन जब्ती मौके पर दर्शित की गई है। अ0सा0-2 और अ0सा0-4 के विरोधाभासी कथन होने के कारण, यह स्पष्ट नहीं है कि हाथापाई में चाकू कौन लाया।

झ- अंततः अपीलकर्ता नागपुर का स्थाई निवासी था, जबकि घटना का स्थान काटोल है, जो लगभग 50 कि.मी. दूर स्थित एक तहसील है। नागपुर से अपीलकर्ता के लिए इतनी दूरी तय करने और दिन के उजाले में कई लोगों की उपस्थिति में चाकू से पीड़िता की हत्या करने का शायद ही कोई कारण हो सकता है।

8- विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का दूसरा पहलू यह है कि यह मान भी लिया जाये कि पीड़िता की मृत्यु अपीलकर्ता के हाथों हुई है, अभियोजन पक्ष को अनुसार पीड़िता प्रारम्भ में घटनास्थल से दूर थी और हाथापाई में सम्मिलित होने वाली आखरी थी, इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की ओर से कोई पूर्वचिन्तन नहीं था और पीड़िता अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता अ0सा0-2, अ0सा0-3 और अ0सा0-4 के बीच हाथापाई में अनजाने में घायल हो गई है। इसलिए स्पष्ट रूप से, पीड़िता लक्ष्य नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराना तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर गलत था और साक्ष्यों से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304, भाग 2 के तहत दण्डनीय प्रकरण बनता है। अपीलार्थी 09 साल तक निरोध में रहा है और यह उचित एवं न्यायसंगत है कि यह न्यायालय अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने के बाद उसकी सजा को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता से धारा 304, भाग 2 भा.द.सं. में परिवर्तित करके बिताई गई निरोध अवधि से दंडित कर उसकी रिहाई का निर्देश दे।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सत्र न्यायाधीश के दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने सबूतों का पुनर्मूल्यांकन किया और अंततः सत्र न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की। अपीलकर्ता द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई मामला स्थापित नहीं किए जाने के कारण, उन्होंने इस न्यायालय से अपील को खारिज करने का आग्रह किया।

10. हमने पक्षों को सुना, विचारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दिए गए साक्ष्यों पर विचार किया और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश का अवलोकन किया।

11. अभियोजन पक्ष के गवाहों के मौखिक साक्ष्य की किसी भी विस्तृत चर्चा को अपीलकर्ता के “लिखित कथन” दिनांक 31 मार्च 2016 (प्रदर्श 96) (पेपरबुक के लिए अनुलग्नक ‘पी-16’) के

मददेनजर अनावश्यक माना जाता है। जिसे उन्होंने अपने बचाव में विचारण न्यायालय के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 की उपधारा (5) (संक्षिप्तता के लिए सी.आर.पी.सी) के संदर्भ में दायर किया था। यह भी ध्यान दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर देते समय धारा 313(1) के तहत परीक्षा के दौरान प्रश्न क्र. 79 में अपीलकर्ता ने ऐसे बयान का उल्लेख किया था।

12. प्रदर्श 96 का सार इस अपील पर निर्णय के उद्देश्य से प्रासंगिक सीमा तक, यह है कि अपीलकर्ता हर 2-3 महीने में किराया इकट्ठा करने के लिए नागपुर से कटोल आता था, इसी प्रकार अपीलकर्ता किराया वसूलने के लिए 26 सितंबर 2013, को कटोल आया था, कि जबकि अपीलकर्ता एक क्रेडिट सोसायटी से पैसे निकाल कर वापस लौटा रहा था और अपने घर की सीढ़िया चढ़ रहा था, तो पीड़िता ने उस पर थूका और उसे यह कहकर धमकाया कि “आज तेरे को पिटवाते हैं, तेरा गेम बजाते हैं”, जब अपीलकर्ता अपना घर छोड़ रहा था, अ0सा0-2 ने पीड़िता और अ0सा0-4 को “अला रे अला” कहकर संकेत दिया, अपीलकर्ता को देखते ही, पीड़िता ने चाकू निकाल लिया और अ0सा0-4 ने अ0सा0-3 से संबंधित लड़ने के लिए संबंधित वस्तु निकाली और उसे पीटना शुरू कर दिया, कि अपीलकर्ता अपने दोनों हाथों से चाकू ले सकता और इस बीच पी.डब्लू. 2 और पी.डब्लू. 3 अपीलकर्ता को पीटने के लिए आगे आए और जब अपीलकर्ता ने खुद को बचाने की कोशिश की, तो पीड़िता और अ0सा0-2 से अ0सा0-4 को चोटें आईं, अपीलकर्ता को भी गंभीर चोटें आईं उसके दोनों हाथों की उंगलियां, उसकी छाती पर चाकू के घाव और उसकी छाती और दाहिने कंधे पर लकड़ी के डंडे से पिटाई की चोटें थीं। ऐसी घटना के तुरंत बाद, अपीलकर्ता अपने हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की। उनकी चोटों का उपचार किए बिना उन्हें रात 10 बजे तक पुलिस स्टेशन में इंतजार कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अ0सा0-2, अ0सा0-3 और 4 के उनके साथ तनावपूर्ण रिश्ते थे और यही कारण है कि उन्होंने उन्हें गंभीर रूप से घायल करने की कोशिश की।

13. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 पर विचार करने पर कई न्यायदृष्टांत हैं, जिनमें से कुछ पर इस स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

14. इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लखमी** में धारा-313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन के मूल्य या उपयोगिता के पहलू पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। इस न्यायालय द्वारा **सनातन नास्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** में अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं के उद्देश्य को समझाया गया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का अनुपालन करने की आवश्यकता के पीछे तर्क न्यायदृष्टांत **रीना हजारिका बनाम असम राज्य** मामले में इस न्यायालय द्वारा विज्ञापित किया गया था। इसके बाद **परमिंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य** मामला पर अंत करते हैं। इस न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के महत्व को **रीना हजारिका (सुप्रा)** और **एम अब्बास विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला** में दोहराया गया।

15. इन न्याय दृष्टांतों में जो अनुसरण किया गया है उसका संक्षेप निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है-

क- धारा 313 द.प्र.सं. (उपधारा 1 का खंड(बी)) अभियुक्त के लिए स्वयं को निदोष साबित करने के लिए मुकदमें की प्रक्रिया में एक मूल्यवान सुरक्षा उपाय है।

ख- धारा 313 द.प्र.सं. का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद सुनिश्चित करना है, न्यायालय पर अभियुक्त से प्रकरण पर पूछताछ करने का अनिवार्य कर्तव्य अधिरोपित करती है ताकि उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझाने में सक्षम बनाया जा सके।

ग- जब अभियुक्त से पूछताछ की जाती है, तो अभियुक्त अपनी संलिप्तता स्वीकार नहीं कर सकता है और न्यायालय द्वारा उससे जो भी कहा जाता है, उसे सिरे से नकारने या अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकता है।

घ- अभियुक्त विधिक रूप से मान्यता प्राप्त बचाव को अपनाने के लिए अपने विरुद्ध उत्पन्न आपत्तिजनक परिस्थितियों को भी स्वीकार कर सकता है या अपना सकता है।

ङ.- कोई अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा बिना प्रतिपरीक्षण के डर के कथन दे सकता है या अभियोजन पक्ष को उससे प्रतिपरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है।

च- किसी अभियुक्त द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है अपितु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के साथ संयोजन के रूप में विचार किया जाना चाहिए और इसीलिए किसी भी दोषसिद्धि को केवल धारा 313 द.प्र.सं के कथन के आधार पर नहीं ठहराया जा सकता है।

छ- धारा 313 द.प्र.सं के तहत जांच के दौरान अभियुक्त के बयान, शपथ पर नहीं होने के कारण, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं बनते हैं, फिर भी दिए गए उत्तर सत्य का पता लगाने और अभियोजन मामले की सत्यता की जांच करने के लिए प्रासंगिक है।

ज- अभियुक्त के कथन को दोषसिद्धि वाले हिस्से पर भरोसा करने और दोषमुक्ति वाले हिस्से को नजर अंदाज करने के लिए विच्छेदित नहीं किया जा सकता है और स्वीकारोक्ति की दोषसिद्धि प्रकृति की प्रमाणिकता का परीक्षण करने के लिए अन्य बात के साथ-साथ इसे पूरा पढ़ा जाना चाहिए।

झ- यदि अभियुक्त बचाव करता है और घटनाओं या व्याख्या का कोई वैकल्पिक प्रकथन पेश करता है, तो न्यायालय को उसके कथनों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और विचार करना होगा। किसी दिए गए मामले में दोषी परिस्थितियों के बारे में अभियुक्त के स्पष्टीकरण पर विचार करने में विफलता, प्रकरण को खराब कर सकती है और दोषसिद्धि को खतरे में डाल सकती है।

16- उपरोक्त सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर धारा 313 की उपधारा 1 के खंड (बी) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा किये जाने के पश्चात् इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण दे सकें और प्रासंगिक प्रश्न तैयार करना ऐसी किसी भी परिस्थिति में अभियुक्त को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करना संशोधन के पहले वर्ष 2009 में धारा 313 द.प्र.सं के

अन्तर्गत न्यायालयों को ही यह कार्य करना था। अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर हस्तक्षेप प्रासंगिक प्रश्न तैयार करने और उन्हें रखने में विचारण न्यायालय की विफलता अभियुक्त के लिए दुर्लभ नहीं थे। आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए और विलंब की कटौती पर जोर देने के साथ निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए संसद में वर्ष 2009 में धारा-313 दं.प्र.सं में संशोधन किया और उपधारा 5 सम्मिलित किया, जिससे न्यायालय की सहायता लेना सक्षम हो सके। ऐसे प्रश्न तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपधारा 5 का भाग आदर्श रूप से, ऐसी सहायता के साथ जो होना ही चाहिए प्रयास को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए वास्तविक और दिखावा नहीं, एक यह विश्वास करने की प्रवृत्ति होगी कि न्यायालय शायद अब बेहतर ढंग से सुसज्जित है। प्रासंगिक प्रश्नों को लगन से तैयार करें, ताकि कोई असुविधा न हो। हालांकि, न्यायिक अनुभव से पता चला है कि अक्सर ऐसा होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा इस तरह की कवायद के पीछे समय और प्रयास नहीं लगाया जाता है कि वांछित परिणाम प्राप्त करें, ऐसा इसलिए है, क्योंकि या तो आरोपी चुनाव करता है या टाल मटोल से इंकार करते हुए आगे आते हैं या घीसे-पीटे अंदाज में सवालों के जवाब देते हैं जैसे 'झूठ है, मुझे नहीं पता', गलत आदि। कई बार इससे ज्यादा असर होता है। अभियुक्त के हित के लिए लाभ की अपेक्षा हानि कर होता है यदि तथ्य अन्तर्वलित हो। अभियुक्त के विशेष ज्ञान की संतोषजनक व्याख्या नहीं की गई है, यह आरोपी के खिलाफ एक कारक हो सकता है। यद्यपि ऐसा कारक अपने आप में है, यद्यपि ऐसा कारक अपने आप में दोषी होने का निश्चयात्मक नहीं है। समग्रता पर विचार करते समय यह प्रासंगिक हो जाता है। परिस्थितियों का, किसी के आचरण या प्रकथन की उचित व्याख्या, अभियोजन पक्ष के प्रकथन से भिन्न, सामना करने के लिए बाध्य हुए बिना प्रतिपरीक्षण, न्यायालय को एक अलग दृष्टिकोण रखने और उसके समक्ष समस्या को हल करने के लिए आवश्यक संकेत या सुराग प्रदान कर सकती है। धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत प्रक्रिया अनुष्ठानिक होने के बजाय इस अर्थ में यथार्थवादी होनी चाहिए कि यह न्याय के लक्ष्य को हासिल करने का साधन होना चाहिए। साध्य की आरंभ न्याय की सुरक्षाहित होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण, दरअसल, अभियुक्त के लिए स्पष्टीकरण देना वैकल्पिक है, परिस्थितियों ने उसे धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत रखा, लेकिन सुरक्षा प्रदान की गई। इसके द्वारा और वह मूल्यावान अधिकार जिसकी वह कल्पना करता है, यदि उसका लाभ उठाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो वह निर्णायक साबित हो सकता है और अंतिम परिणाम पर असर डाल सकता है, जो वास्तव में अभ्यास की निरर्थकता के बजाय उपयोगिता को बढ़ावा देगा।

17. एक बार जब आरोपी द्वारा द.प्र.सं. की धारा 313 की उपधारा 5 के तहत एक लिखित बयान दायर किया जाता है और न्यायालय इसे एक प्रदर्श के रूप में चिन्हित करती है, ऐसे कथन को उपधारा 1 के सहपठित उपधारा 4 के तहत अभियुक्त के कथन का हिस्सा माना जाना चाहिए। पश्चात् में उपधारा के मददेनजर, ऐसे मामले की सत्यता या अन्यथा की सराहना करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आलोक में लिखित कथन पर विचार के साथ किया जाना चाहिए और ऐसे कथन की सामग्री को प्रकरण की संभावनाओं के साथ तुलना की जानी चाहिए या तो अभियुक्त के पक्ष में है या उसके विरुद्ध है।

18. यह एक ऐसा मामला है जहां अभिलेख से यह प्रतीत नहीं होता है कि लिखित कथन (प्रदर्श 96) ने विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। उपरोक्त बताए गए सिद्धांतों को लागू करने और नीचे चर्चा किए गए कारणों के लिए, प्रदर्श पर विचार न करने पर कोई विवाद नहीं है।

19. प्रदर्श 96 दोषसिद्धि संबंधी स्वीकृतियों को संदर्भित करता है और साथ ही दोषमुक्ति संबंधी परिस्थितियों को भी सामने लाने का प्रयास करता है। कथन को पूरा पढ़ा जाना चाहिए। अपीलकर्ता के खिलाफ इस कथन से उभरने वाली दोषारोपण स्वीकारोक्ति है 1-घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति और 2-पीड़िता और अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्यों द्वारा उपहति को बनाए रखना, जैसा कि दावा किया गया है, अपीलकर्ता खुद को घायल होने से बचाने का प्रयास कर रहा था। जिन दोषमुक्ति परिस्थितियों को स्थापित करने की मांग की गई है, वे हैं 1-अपीलकर्ता द्वारा किए गए कृत्य का वर्णन, जिसके बारे में शिकायत की गई है, वह अनैच्छिक था, जो अपरिहार्य परिस्थितियों से मजबूर था और स्वेच्छया निर्देशित नहीं था, और 2-उसी संव्यवहार में उसे उपहति किरात हुई थी।

20. प्रदर्श 96 में दी गई दोषसिद्धि के मद्देनजर उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय से सहमति जताते हुए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पीड़िता की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। परीक्षण के दौरान प्राप्त साक्ष्यों पर विस्तार से विवेचना तथा घटनास्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति और हाथापाई के दौरान घायल हुए पीड़िता और घायल साक्षियों को प्रदर्श 96 से ही स्थापित किया जा सकता है। हाँलाकि, प्रदर्श पर ध्यान न देकर प्रदर्श 96 अभिलेख पर अन्य सबूतों के साथ विचारण न्यायालय ने जिस बात पर विचार करना छोड़ दिया, वह यह है कि क्या अभियोजन यह दावा करना उचित था कि अपीलकर्ता हत्या की श्रेणी में आने वाली हत्या या अपीलकर्ता गैर इरादतन हत्या का दोषी होने के कारण आई.पी.सी की धारा 304, भाग 2 के तहत सजा का हकदार है। यह सत्य है, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों पर विचार किया कि 1. उसने “निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग किया था”, और यद्यपि 2. उसने इस तरह के अधिकार का उल्लंघन किया, 3. वर्तमान मामले में अधिकांश धारा 304, भाग 2, आई.पी.सी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन यह अ0सा0-2 से अ0सा0-4 की मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करके ऐसे तर्कों को खारिज करने के लिए आगे बढ़ा। इस प्रक्रिया में, विचारण न्यायालय प्रदर्श 96 में बताए गए बचाव प्रकथन की सराहना करने में विफल रहा, जो हमें विवेचना योग्य प्रतीत होता है। एक वरिष्ठ नागरिक जो किराया वसूलने के लिए अपने निवास स्थान नागपुर से काटोल जाता है, हत्या का इरादा रखता है तो संभवतः दिन के उजाले में और गवाहों की उपस्थिति में ऐसा करने का प्रयास नहीं करेगा, और वह भी चाकू जैसे हथियार के साथ। प्रदर्श 96 को वैसे ही पढ़ने पर, हमें यह संभव लगता है कि पीड़िता के कहने पर उकसावे की कार्रवाई हुई होगी, जो कथित तौर पर मौखिक दुर्यवहार के साथ अपीलकर्ता पर थूकने में शामिल थी, जिसके बाद अ0सा0-2 और बाद में अ0सा0-3 और अ0सा0-4

आये एवं कार्यवाही के परिणामस्वरूप हाथापाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को चोटें पहुंचाई, जिसके परिणामस्वरूप अवांछित जनहानि हुई।

21. यह खेदजनक है कि अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय का ध्यान प्रदर्श 96 की ओर आकर्षित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कथित कृत्य “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 में उल्लेखित किसी भी अपवाद में नहीं आता है, ‘यह न तो अचानक उकसावे का परिणाम है और न ही झगड़े के दौरान आवेश में आकर किया गया है’ और यह कि “यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि नंदकिशोर की मृत्यु हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध है”।

22. जैसा भी हो, हमें अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के साथ-साथ प्रदर्श 96 पर आधारित अपने निष्कर्षों को दर्ज करने में कोई कठिनाई नहीं है, जिसे अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्तिजनक सामग्रियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के तहत पूछताछ के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध भी साक्ष्य मिले हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपीलकर्ता के कथन का निष्पक्ष और उचित खुलासा है कि उस भयावह शाम को क्या हुआ था। आपत्तिजनक कृत्य किया गया। अपीलकर्ता द्वारा आसपास की परिस्थितियों में सराहना की जानी चाहिए। अपीलकर्ता द्वारा आसपास की परिस्थितियों में किये गये कथित आपराधिक कृत्य का विश्लेषण किया जाना चाहिए जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

23. सामान्य घटनाओं में, पीड़िता के साथ-साथ अ0सा0-2 और अपीलकर्ता को दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को एक दूसरे के मध्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। अ0सा0-2 ने पीड़िता की दुकान खोली क्योंकि पीड़िता खेत से वापस नहीं आया था। यदि अ0सा0-2 ने दुकान नहीं खोली होती, तो अपीलकर्ता संभवता उससे नहीं मिलता। यह संयोग था कि अपीलकर्ता और अ0सा0-2 एक दूसरे से मिले। पीड़िता और अपीलकर्ता का आपस में कोई झगड़ा नहीं था, जो कुछ भी था, वह अपीलकर्ता और अ0सा0-2 के मध्य था। दोनों के मध्य का आपसी झगड़ा काफी पहले ही शांत हो चुका था। अभियोजन पक्ष के मामले में एक कड़ी अनुपस्थित है कि अपीलकर्ता का उद्देश्य पहले अ0सा0-2 पर प्रहार करना था। अ0सा0-2 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अ0सा0-2 पीड़िता की दुकान के सामने बैठकर अखबार पढ़ रहा था और अपीलकर्ता बाबूराव सावरकर जिसे साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है, के सैलून में बैठा था, जो पीड़िता की दुकान के सामने था। अ0सा0-2 के अनुसार, अपीलकर्ता शुरू में निहत्था था। अ0सा0-2 के आगे यह भी व्यक्त किया था कि अपीलकर्ता अपने घर गया, एक चाकू लाया और और अ0सा0-2 के बाएं कंधे, गर्दन और बाएं हाथ की उंगली पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप गंभीर रक्तस्राव हुआ। 70 वर्षीय अ0सा0-2 को देखकर अपीलकर्ता अचानक उसके घर क्यों गया और चाकू लेकर वापस आया इसका कारण साक्ष्य में नहीं है। वर्तमान के लिए हम यह मान लेते हैं कि गर्मागर्म बहस हुई थी और अपीलकर्ता ने पहले अ0सा0-2 को झटका दिया, और उसके बाद एक-एक करके अन्य को झटका दिया। फिर अ0सा0-2 के अनुसार पीड़िता को खेत में होना चाहिए था, लेकिन वह अचानक किसी अन्य जगह

से घटनास्थल पर आ गया। श्रखला की तीसरी कड़ी में अपीलकर्ता द्वारा चाकू मारा गया था, जो कि उसका लक्ष्य नहीं था। यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा इस बात की कोई विशिष्ट स्वीकारोक्ति नहीं है कि उसने पीड़िता या अन्य घायल साक्षियों को चाकू मारा था। प्रदर्श 96 की सामग्री को पढ़ने से अचानक उकसावे के कारण प्रतिशोध की कार्रवाई का पता चलता है जिसके परिणामस्वरूप झगड़ा हुआ और साथ ही हाथापाई भी हुई अंततः सबसे दुर्भाग्यवश, पीड़िता को अपनी जान गंवानी पड़ी और कुछ अन्य घायल हो गए। अपीलकर्ता को भी हाथापाई में उपहति कारित हुई और अभिलेख पर साक्ष्य है कि उपहतियों में से एक गंभीर प्रकृति की थी, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से आपराधिक कानून ऐसी चोट पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। यह अचानक हुआ झगड़ा था, जिसे पीड़िता और अ0सा0-2 ने भड़काया हो सकता था, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट हुई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन परिस्थितियों में घटना घटी, वे मन में पूर्वचिन्तन के किसी भी सुझाव को स्पष्ट रूप से नकारती हैं। इसके अलावा, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पीड़िता अर्धे उम्र की थी, अपीलकर्ता की आयु 50 वर्ष के आसपास थी। कथित घटना के समय अ0सा0-2 के प्रकथन के अनुसार अ0सा0-2 और 3 के अलावा, शंकरराव फार्तोडे, उमराव चार्डे, रमेश कोर्डे तीनों की जांच नहीं की गई जो कि मौके पर मौजूद थे। यह वास्तव में असंभव है कि ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में, अपीलकर्ता कोई चाकू जैसा हथियार लेकर बिना किसी पर्याप्त कारण या उकसावे के उन सभी पर हमला कर हत्या का अपराध करने के इरादे से घटनास्थल पर आएगा। हमारे मत में, विचारण न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों की जांच न करके वस्तुनिष्ठता का अभाव दर्शित किया कि क्या स्थिति ऐसी थी जिससे अपीलकर्ता के मन में यह आशंका पैदा हो सकती थी कि उसके शरीर को या तो मृत्यु का आसन्न खतरा था या तो उसे गंभीर उपहति पहुंचाई जा सकती है, यदि उसने निजी प्रतिरक्षा में कार्य नहीं किया, इन परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने का आशय या उस विशेष उपहति को कारित करने के आशय का आरोप लगाना घातक साबित हुआ है।

24. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में कहा गया है कि गैर इरादतन हत्या नहीं है, अगर यह बिना सोचे-समझे आवेश में आकर, अचानक झगड़ा करके और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर कार्य किए बिना किया जाता है। इसके स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि ऐसे प्रकरणों में यह बात महत्वहीन है कि कौन सा पक्ष उकसावे की पेशकश करता है या पहला हमला करता है। इस अपवाद को लागू करने के लिए चार आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है- 1. यह अचानक हुई लड़ाई थी। 2. कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। 3. यह कार्य आवेश में आकर किया गया था और 4. हमलावर कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया।

25. प्रकरण पर समग्र रूप से विचार करते हुए, हम सहमत हैं कि अपीलकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के लाभ का हकदार था।

26. उपरोक्त विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है, जहां अपीलकर्ता ने पीड़िता की हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। हत्या के लिए उसकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को निरस्त किया जा सकता है। तदनुसार आदेश दिया गया है।

27. हालांकि, हम अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304, भाग 2 के तहत दोषसिद्ध करना उचित समझते हैं। चूंकि अपीलकर्ता ने 9 वर्ष से अधिक समय तक कारावास का सामना किया है और वह वर्तमान में 60 वर्ष के अंत में है, हम इतनी अवधि के लिए कारावास को पर्याप्त दण्ड मानते हैं। अपीलकर्ता को तुरंत हिरासत से रिहा कर दिया जाए, जब तक कि किसी अन्य प्रकरण के संबंध में आवश्यक न हो।

28. चूंकि, अपीलकर्ता पहले ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध करने के लिए अधिरोपित की गई सजा की अवधि पूर्ण कर चुका है, जो अत्याधिक संदिग्ध दोषसिद्धि पर आधारित है, इसलिए हम उसे निष्क्रिय करने की अनुमति देते हैं।

29. उपरोक्त वर्णित सीमा तक अपील बिना किसी परिव्यय के स्वीकार की जाती है।

30. समाप्त करने से पूर्व हम यह पाते हैं कि यह एक ऐसा प्रकरण है, जहां पुलिस को अपीलकर्ता को लगी चोटों की भी जांच करनी चाहिए थी। अपीलकर्ता ने गलत को सुधारने के लिए कोई उपलब्ध उपचार भी पाने की कोशिश नहीं की। हालांकि, घटना को घटित हुए एक दशक का समय बीत चुका है, अतः इस समय अन्वेषण करने का कोई भी निर्देश, कोई सार्थक परिणाम नहीं दे सकता है। इसलिए, ऐसे निर्देश जारी नहीं किये जा रहे हैं।

अपील की अनुमति दी गई।

Hiteshi Sharma

1. (1998) 4 SCC 336
- 2 (2010) 8 SCC 249
- 3 (2019) 13 SCC 289
- 4 (2020) 8 SCC 811
- 5 (2001) 10 SCC 103

